

Court No. - 13

Case :- APPLICATION U/S 482 No. - 7029 of 2024

Applicant :- Xyz Complainant Informant Victim Crime No 44/2023 Thru. Her Father

Opposite Party :- State Of U.P. Thru. Addl. Chief Secy. Prin. Secy. Home Deptt. Lko And Others

Counsel for Applicant :- Rajendra Kumar Dwivedi, Sagun Chandra Rastogi

Counsel for Opposite Party :- G.A.

Hon'ble Saurabh Lavania, J.

1. Heard Shri Rajendra Kumar Dwivedi, learned counsel for the applicant assisted by Shri Sagun Chandra Rastogi, Advocate as well as learned A.G.A. for the state and perused the records.

2. The present application U/s 482 Cr.P.C. has been filed for the following main relief:-

"to quash the impugned order dated 05.07.2024 passed by learned Special Judge POCSO Act, Hardoi and further be pleased to direct the learned trial Court to summon the victim/complainant/informant/petitioner before this Hon'ble Court for her further examination on the questions which have been detailed in the application moved before the learned Trial Court has also submitted before this Hon'ble Court, in the interest of justice."

3. By means of the present application under Section 482 Cr.P.C., the victim/applicant has approached this Court challenging the order dated 05.07.2024, passed by Special Judge, POCSO Act, Hardoi (in short 'trial court'), in Special Session Trial No. 425 of 2023 (State Vs. Rakesh Gupta) on an application preferred by the victim/applicant under Section 311 Cr.P.C. praying therein to recall the P.W.1.

4. Brief facts of the case are to effect that an FIR No. 0044 of 2023 was lodged on 28.01.2023 under Sections 354, 506 IPC, Section 3(2) (va) SC/ST Act and Sections 7/8 POCSO Act, Police Station - Atrauli, District - Hardoi. Thereafter, based upon the statement(s) including the statement made by the victim during the investigation as also the evidence collected by the Investigating Officer, the charge-sheet was filed under Sections 354, 506, 376 IPC, Sections 3(2)(v), 3(2)(va)

5. The matter was committed to the Court of Sessions where the case was registered as Special Session Trial No. 425 of 2023 (State Vs. Rakesh Gupta).

6. The trial Court therein framed the charges against the accused and upon denial, the opposite party no. 2/accused put to trial. The victim (PW-1) was duly examined on 31.07.2023, thereafter was cross-examined on 17.08.2023, as appears from the record. After conclusion of cross-examination of the victim, an application under Section 311 Cr.P.C. for recall of the victim for further examination was preferred by the father of the victim on 17.08.2023.

7. The trial Court, upon due consideration of the facts of the case vide order dated 05.01.2024, rejected the application for recall of victim for further examination. The order dated 05.01.2024 is extracted herein-under:

"पत्रावली प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 311 दं०प्र०सं० पर आदेश हेतु पेश हुयी। प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 311 दं०प्र०सं० छबीले (जो पीड़िता/वादिनी का पिता है) द्वारा अभियोजन से अग्रसारित कराकर इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि पीड़िता को मुख्य परीक्षा दिनांक 31.07.2023 को हुई थी, जिसमें उसने अभियुक्त राकेश द्वारा बलात्कार किये जाने व घर में यदि बताया तो जान से मार डालने जाने का कथन किया था। पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा में मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष अपना बयान देना भी बताया था, जिसमें भी राकेश द्वारा गलत काम किया जाना बताया था तथा पेट में राकेश का बच्चा होना बताया था। पीड़िता की प्रति परीक्षा दिनांक 17.08.2023 को बचावपक्ष के अधिवक्ता महोदय द्वारा की गई, जिसमें पीड़िता द्वारा कहा गया कि राकेश से बातचीत हुई थी। राकेश ने मेरे साथ कोई बलात्कार नहीं किया। पीड़िता ने प्रतिपरीक्षा में यह भी कहा कि सुनील रंजिश के कारण राकेश को फंसाना चाहते थे और मुझे थाने पर ले जाकर रिपोर्ट लिखवाई। रिपोर्ट पढ़कर नहीं सुनाई गई। न्यायहित में पीड़िता द्वारा मुख्य परीक्षा में किये गये कथन के विपरीत प्रति परीक्षा किये गये कथन में उत्पन्न विरोधाभास को स्पष्ट करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा पीड़िता की पुनः परीक्षा किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

उक्त प्रार्थनापत्र के विरुद्ध दाखिल आपत्ति में अभियुक्त की ओर से कहा गया कि प्रार्थना अन्तर्गत धारा 311 दं०प्र०सं० बिल्कुल ही आधारहीन एवं विधि एवं तथ्यों के प्रतिकूल है। पीड़िता का बयान दिनांक 17.08.2023 को व दिनांक 17.09.2023 को हो चुका है। पीड़िता द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में मुख्य परीक्षा का समर्थन नहीं किया है अभियोजन पक्ष द्वारा पीड़िता का परीक्षण मुख्य परीक्षा में कराया जा चुका है। इस कारण से किसी प्रकार के पीड़िता के बयान के परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। पीड़िता के बयान... लोक अभियोजक के समक्ष न्यायालय में अंकित किये गये हैं।

पीड़िता पर दबाव बनाकर परीक्षा में मनमाने तरीके से बयान अंकित कटा सके जबकि पीड़िता स्वयं वादिनी है छबीले पीड़िता का पिता है अभी धीले की गवाही होना शेष है वह अपनी गवाही देने के लिए स्वतंत्र है। अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 311 दं०प्र०सं० निरस्त किये जाने योग्य है।

सुना जा चुका है। मैं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मामले में पीड़िता/वादिनी की मुख्य परीक्षा दिनांक 31.07.2023 को अंकित की गयी। तत्पश्चात् दिनांक 17.08.2023 को उसकी प्रति परीक्षा अंकित की गयी तथा पत्रावली में दिनांक 02.09.2023 की तिथि नियत की गयी। उसी दिन न तो कोई साक्ष्य प्रस्तुत हुआ न ही कोई प्रार्थनापत्र दिया गया और पत्रावली में दिनांक 18.09.2023 की तिथि नियत की गयी। उस दिन भी पत्रावली में न तो कोई साक्षी उपस्थित आया न ही कोई प्रार्थनापत्र ही प्रस्तुत किया गया और पत्रावली में दिनांक तिथि नियत की गयी। जिस दिन छबीले द्वारा अभियोजन से अग्रसारित कराकर वर्तमान प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। कहने का तात्पर्य यह कि जिस दिन जिरह पूर्ण हुई उस दिन तक छबीले/अभियोजन की कोई कमी नजर नहीं आयी। इसी प्रकार तिथि 02.09.2023 को भी छबीले/अभियोजन की कोई कमी नजर नहीं आती है फिर उसकी अगली तिथि दिनांक 04.10.2023 को छबीले/अभियोजन को यह पता चलता है कि पीड़िता ने अपनी जिरह में यह जवाब दिया है, जिस कारण मामले में यह कमी उत्पन्न हो गयी। ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि वर्तमान में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पाक्सो के सहयोग के लिए प्राइवेट अधिवक्ता भी है, उसके बाद भी उनके द्वारा जिरह वाले दिन न्यायालय से निवेदन नहीं किया गया न ही विशेष लोक अभियोजन पाक्सो द्वारा ऐसा निवेदन किया गया कि मामले में उन्हें अमुक प्रश्न पूछना है, किन्तु उस साक्षी से दोनो में से किसी के द्वारा भी ऐसा निवेदन नहीं किया गया और जब दो तिथियां बीत गयी तब छबीले द्वारा सोच समझकर (आफ्टरथाट) वर्तमान प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर दिया गया, जो निरस्त होने योग्य है।

इसके अतिरिक्त वर्तमान प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 311 दं०प्र०सं० प्रस्तुत किया गया है और 311 दं०प्र०सं० में उन विशिष्ट प्रश्नों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, जो प्रश्न तलब किये जाने वाले गवाह से पूछा जाना हो, किन्तु प्रस्तुत मामले में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 311 दं०प्र०सं० में ऐसे किसी प्रश्न का उल्लेख नहीं किया गया है, इसके अभाव में प्रार्थनापत्र स्वीकार होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

इसके अतिरिक्त धारा 311 दं०प्र०सं० एक विशिष्ट प्रावधान है और विशिष्ट प्रावधानों का प्रयोग न तो सरसरी तौर पर किया जायेगा और न ही किसी कमी को पूरा करने के लिए किया जायेगा और प्रस्तुत मामले में जिस प्रकार से प्रार्थना पत्र दिया है, वह कमी को पूरा करने के लिए दिया गया है, जिसकी अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती।

इसके अतिरिक्त प्रस्तुत मामले में प्रार्थनापत्र छबीले द्वारा दिया गया, जो न तो वादी है और न पीड़िता और न ही लिस्ट गवाहान में उसका नाम है, ऐसी स्थिति में मात्र पीड़िता का पिता का पिता होने के नाते उन्हें प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 311 दं०प्र०सं० प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो घटना अपनी आँखों से देखी नहीं।

अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना से स्पष्ट है कि छबीले द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आफ्टरथाट हैं, इसमें उन प्रश्नों का उल्लेख नहीं है, जो पूछे जाने हैं, यह जिरह में आयी कमी को पूरा करने के लिए दिया गया है, जो हर हाल में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 311 दं०प्र०सं० निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 20.01.2024 को पेश हो। गवाह तलब हो।"

8. After passing the order dated 05.01.2024, quoted above, an application dated 29.02.2024 under Section 311 Cr.P.C. was moved by the prosecution with a prayer to permit the victim to appear as witness again for further examination/clarification on the following questions:

- "1. यह कि जब पीड़िता ने मुख्य परीक्षा में अभियुक्त राकेश द्वारा गलत काम (बलात्कार) किया जाना बताया तो प्रति मुख्य परीक्षा के लगभग 17 दिन बाद की गई प्रति परीक्षा में अभियुक्त द्वारा कोई गलत काम न किये जाने का कथन किया है इस विरोधाभाष का स्पष्टीकरण प्राप्त करने के सम्बन्ध में
2. यह कि जब मुख्य परीक्षा में पीड़िता ने कथन किया कि पीछे से मुझे पकड़कर खींच कर अरहर के खेत में ले गये जबकि मुख्य परीक्षा के 17 दिन बाद प्रतिपरीक्षा में दथन किया कि मैंने मुल्जिम राकेश को बुलाया था, मैं मिलना चाहती थी। घटना स्थल वाले खेत में मेरी राकेश की बातचीत हुई थी। राकेश ने मेरे साथ कई गलत काम नहीं किया। इस विरोधाभाष का स्पष्टीकरण प्राप्त करने के सम्बन्ध में
3. यह कि सुनील गौतम व सुनील मौर्य के कहने पर राकेश को फंसाने के लिए उनके साथ थाने जाकर राकेश के विरुद्ध रिपोर्ट क्यों लिखाई इसके स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में
4. यह कि पीड़िता ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया मैं मुल्जिम राकेश के साथ रहना चाहती हूँ उससे शादी करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं गर्भवती हूँ अगर मुल्जिम मुझे नहीं रखेगा तो मैं उसे जरूर सजा कराऊंगी के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में
5. यह कि पीड़िता को विरोधाभाष स्पष्टीकरण हेतु पुनः बुलाये जाने का द्वितीय प्रार्थना पत्र है। प्रथम प्रार्थना पत्र इस आधार पर निरस्त किया जा चुका है कि प्रार्थना पत्र पीड़िता के पिता द्वारा दिया गया है जो न तो वादी है और न ही प्रत्यक्षदर्शी तथा उन प्रश्नों का उल्लेख नहीं किया गया है जो प्रश्न तलब किये जाने वाले गवाह से पूछा जाना है।"

9. The trial Court, vide order dated 05.07.2024, rejected the application dated 29.02.2024 preferred under Section 311 Cr.P.C. The order dated 05.07.2024 reads as under:

"पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त राकेश गुप्ता की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जो स्वीकार किया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक उपस्थित। पत्रायली वास्ते सुनवाई/निस्तारण प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 311 दे०प्र०सं० नियत है। अभियोजन की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 311 दे०प्र०सं० पीड़िता पी०डब्लू० 1 को पुनः परीक्षा के लिए तलब कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसके विरुद्ध बचावपक्ष की ओर से लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गयी। अभियोजन की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्त राकेश व कमलेश के द्वारा उसे जबरन खेत में खींचकर ले जाने तथा वहां अभियुक्त राकेश के द्वारा उसके साथ बलात्कार करने तथा अभियुक्त राकेश व कमलेश के द्वारा उसे जान से मारने की धमकी देने का कथन किया है, परन्तु बचावपक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में पीड़िता ने यह कथन किया है कि वह अभियुक्त राकेश से मिलना चाहती थी तथा उसने अभियुक्त को स्वयं बुलाया था। घटनास्थल पर राकेश व उसकी बातचीत हुई थी। अभियुक्त ने उसके साथ कोई गलत काम या दुर्व्यवहार नहीं किया था। यह राकेश के साथ रहना चाहती है, उससे शादी करना

चाहती है। पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा तथा प्रतिपरीक्षा में घटना के संबंध में विरोधाभासी कथन किया है, जिसके स्पष्टीकरण के लिए पीड़िता को पुनः परीक्षा कराया जाना आवश्यक है।

बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र का विरोध किया तथा अभियोजन के उक्त तर्क का खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन के द्वारा यह द्वितीय प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रथम प्रार्थनापत्र दिनांक 05.01.2024 को न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर निरस्त किया जा चुका है। पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन पक्ष का सनर्थन किया है। परन्तु बचावपक्ष के द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में पीड़िता ने जो कथन किया है, यह विरोधाभासी है, जिसका लाभ बचावपक्ष को मिलना न्यायसंगत है, अभियोजन उन्हीं विरोधाभास को खण्डित करना चाहता है, यदि इसकी अनुमति दी जाती है, तो प्रतिपरीक्षा का उद्देश्य विफल हो जायेगा। पीड़िता ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कोई नया कथन नहीं किया है। घटना के संबंध में केवल विरोधाभासी कथन किये हैं, जो प्रतिपरीक्षा का उद्देश्य भी है। अभियोजन ने प्रार्थनापत्र विचारण को लम्बित रखने तथा साक्ष्य की कमी को पूरा करने के लिए प्रस्तुत किया है, जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

मैंने उभयपक्ष को सुना तथा पत्रावली अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 31.07.2023 को पीड़िता/पी०डब्लू० 1० की मुख्य परीक्षा अंकित करायी गयी थी, जिसमें पीड़िता ने अभियुक्त राकेश के द्वारा उसके साथ खेत में बलात्कार करने तथा जान से मारने की धमकी देने का कथन किया गया है। दिनांक 17.08.2023 को बचावपक्ष के द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में पीड़िता ने कथन किया है कि घटना के दिन उसने अभियुक्त राकेश को बुलवाया था तथा वह राकेश से मिलना चाहती थी, राकेश ने उसके साथ कोई दुर्व्यवहार या गलत काम नहीं किया था, वह राकेश से विवाह करना तथा उसके साथ रहना चाहती है, क्योंकि यह गर्भवती थी। मुख्य परीक्षा तथा प्रतिपरीक्षा में घटना के संबंध में किये गये विरोधाभासी कथनों के स्पष्टीकरण के लिए पीड़िता को पुनः परीक्षा के लिए तलब करने हेतु अभियोजन की ओर से यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियोजन की ओर से पूर्व में भी उक्त विरोधाभासों के स्पष्टीकरण के लिए पीड़िता को पुनः परीक्षा हेतु तलब करने के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था, जो इस न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 05.01.2024 को गुणदोष के आधार पर निरस्त किया जा चुका है, अभियोजन के द्वारा पुनः उसी आधार पर द्वितीय प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है, जो पोषणीय न होने के कारण स्वीकार किये जो योग्य नहीं है।

आदेश

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 311 दं०प्र०सं० निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते शेष साक्ष्य अभियोजन दिनांक 23.07.2024 को पेश हो।”

10. In the aforesaid background of the case, present application has been filed.

11. Challenging the order dated 05.07.2024, learned counsel for the applicant says that as per settled principle of law the application ought to have been allowed by the trial Court and the order impugned is against the principle settled in this regard as also the observations made by the Hon'ble Apex Court in regard to expression 'Fair Trial'.

As such, interference of this Court is required in the matter.

12. Learned AGA opposed the present application which relates to recall of witness in exercise of power conferred under Section 311 Cr.P.C.. He stated that as per settled principle of law, for filling lacunas a witness cannot be recalled or permitted to be recalled. Prayer is to affirm the impugned order and dismiss the application.

13. Considered the submissions advanced by the learned counsel for the parties and perused the record.

14. Considered the aforesaid facts and the observations made by the trial Court in the order dated 11.07.2024 and the principles related to recall of witness under Section 311 Cr.P.C. settled by the Hon'ble Apex Court in the case(s) of **Mohd. Khalid Versus State of West Bengal (2002) 7 SCC 334; Natasha Singh vs. CBI, (2013) 5 SCC 741 : (2013) 4 SCC (Cri) 828 : 2013 SCC OnLine SC 444; Mannan S.K. and Ors. V State of West Bengal and Anr., AIR 2014. SC 2950. State of Haryana vs. Ram Mehar and others (2016) 8 SCC 762; Swapan Kumar Chatterjee vs. Central Bureau of Investigation, (2019) 14 SCC 328; Varsha Garg vs. State of Madhya Pradesh and Others 2022 SCC OnLine SC 986** and as also by this Court in **Application under Section 482 Cr.P.C. No. 274 of 2022 (Ram Nayak Singh vs. State of U.P. & Another).**

15. It is well settled by catena of decisions by the Hon'ble Apex Court that the power under Section 311 Cr.P.C. must be exercised with the care, caution and circumspection and only for strong and valid reasons. The recall of a witness already examined should not be a matter of course and discretion given to the court in this regard has to be exercised judicially to prevent failure of justice. The object of the provision as a whole is to do justice not only from the point of view of the accused and the prosecution but also from the point of view of an orderly society.

16. The Court is fully conscious of the position that after all the trial is basically for the prisoners/accused and the Court should afford an opportunity to them in the fairest manner possible. At the same time, the Court should bear in mind that fair trial entails the interest of the accused, the victim and the society and, therefore, the grant of fair and proper opportunities to the persons concerned, must be ensured being a constitutional goal, as well as a human right. Recalling of witnesses has to be applied on the basis of judicially established and accepted principles.

17. In the facts of the case it would be apt to refer the observations made in the judgment(s) passed in the case of **Mohd. Khalid (Supra)** and **Ram Mehar (Supra)**.

18. In the case of **Mohd. Khalid (Supra)**, the Hon'ble Apex Court observed as under:-

"Before parting with the case, we may point out that the Designated Court deferred the cross-examination of the witnesses for a long time. That is a feature which is being noticed in many cases. Unnecessary adjournments give a scope for a grievance that the accused persons get a time to get over the witnesses. Whatever be the truth in this allegation, the fact remains that such adjournments lack the spirit of Section 309 of the Code. When a witness is available and his examination-in-chief is over, unless compelling reasons are there, the Trial Court should not adjourn the matter on the mere asking. These aspects were highlighted by this Court in State of U.P. v. Shambhu Nath Singh and others (2001) 4 SCC 667 and N.G. Dastane v. Shrikant Shivde (2001) 6 SCC 135. In the case of State of U.P. v. Shambhu Nath Singh and others (2001) 4 SCC 667, this Court deprecated the practice of Courts adjourning cases without examination of witnesses when they are in attendance with the following observations:-

"9. We make it abundantly clear that if a witness is present in Court he must be examined on that day. The Court must know that most of the witnesses could attend the Court only at heavy cost to them, after keeping aside their own avocation. Certainly they incur suffering and loss of income. The meagre amount of bhatta (allowance) which a witness may be paid by the Court is generally a poor solace for the financial loss incurred by him. It is a said plight in the Trial Courts that witnesses who are called through summons or other processes

stand at a doorstep from morning till evening only to be told at the end of the day that the case is adjourned to another day. This primitive practice must be reformed by every one provided the presiding officer concerned has a commitment towards duty. No sadistic pleasure, in seeing how other persons summoned by him as witnesses are standard on account of the dimension of his judicial powers, can be a persuading factor for granting such adjournments lavishly, that too in a casual manner."

19. In the case of **Ram Mehar (Supra)**, the Hon'ble Apex Court observed as under:-

"23. In Bablu Kumar and others v. State of Bihar and another, (2015) 8 SCC 787 the Court referred to the authorities in Sidhartha Vashisht alias Manu Sharma v. State (NCT of Delhi), (2010) 6 SCC, Rattiram and others v. State of Madhya Pradesh (2012) 4 SCC 516, J. Jayalalithaa and others v. State of Karnataka and others (2014) 2 SCC 401, State of Karnataka v. K. Yarappa Reddy (1999) 8 SCC 715 and other decisions and came to hold that keeping in view the concept of fair trial, the obligation of the prosecution, the interest of the community and the duty of the court, it can irrefragably be stated that the court cannot be a silent spectator or a mute observer when it presides over a trial. It is the duty of the court to see that neither the prosecution nor the accused play truancy with the criminal trial or corrode the sanctity of the proceeding. They cannot expropriate or hijack the community interest by conducting themselves in such a manner as a consequence of which the trial becomes a farcical one. It has been further stated that the law does not countenance a "mock trial". It is a serious concern of society. Every member of the collective has an inherent interest in such a trial. No one can be allowed to create a dent in the same. The court is duty-bound to see that neither the prosecution nor the defence takes unnecessary adjournments and take the trial under their control. We may note with profit though the context was different, yet the message is writ large. The message is - all kinds of individual notions of fair trial have no room".

"38. At this juncture, we think it apt to state that the exercise of power under Section 311 Cr.P.C. can be sought to be invoked either by the prosecution or by the accused persons or by the Court itself. The High Court has been moved by the ground that the accused persons are in the custody and the concept of speedy trial is not nullified and no prejudice is caused, and, therefore, the principle of magnanimity should apply. Suffice it to say, a criminal trial does not singularly centres around the accused. In it there is involvement of the prosecution, the victim and the victim represents the collective. The cry of the collective may not be uttered in decibels which is physically audible in the court premises, but the Court has to remain sensitive to

such silent cries and the agonies, for the society seeks justice. Therefore, a balance has to be struck. We have already explained the use of the words "magnanimous approach" and how it should be understood. Regard being had to the concept of balance, and weighing the factual score on the scale of balance, we are of the convinced opinion that the High Court has fallen into absolute error in axing the order passed by the learned trial Judge. If we allow ourselves to say, when the concept of fair trial is limitlessly stretched, having no boundaries, the orders like the present one may fall in the arena of sanctuary of errors. Hence, we reiterate the necessity of doctrine of balance".

20. As per the judgments, indicated above, including the judgment passed in the case of **Mannan S.K. (supra)**, the Hon'ble Apex Court held that the Court should not permit the prosecution to fill up the lacuna in evidence.

21. Upon due consideration of aforesaid facts as also the spirit of Section 33(5) of POCSO Act of 2012, according to which victim should not be called repeatedly to testify in court, this Court does not find any illegality in the impugned order dated 05.07.2024. It is for the following reason(s):-

(i) It is a case related to POCSO Act, 2012 and Section 33(5) of the same indicates that the victim should not be called repeatedly to testify in the Court.

(ii) From a conjoint reading of the statement of the victim and the question indicated in para 7 of this judgment, it is apparent that in cross-examination the victim did not support the case as set up by the prosecution and accordingly, to the view of this Court, in view of this matter, the application under Section 311 Cr.P.C. was moved by the prosecution with intention to fill up the lacuna after tutoring the victim, which is not permissible.

22. For the aforesaid, the instant application under Section 482 Cr.P.C. is hereby **rejected**. Cost made easy.

Order Date :- 9.8.2024/Mohit Singh/-